



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 24.04.2026

1.थाना जारचा पुलिस द्वारा फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से 3 करोड़ 3 लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 04 एटीएम कार्ड एवं 01 स्कार्पियो कार बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 24.04.2026 को थाना जारचा पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से 3 करोड़ 3 लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तगण 1.प्रदीप राणा पुत्र वीर सिंह 2. खुशबू देवी पत्नी शशि रंजन 3. ज्योत्सना पत्नी सतीश धवन सिंह को समाना नहर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे 04 मोबाइल फोन, 04 एटीएम कार्ड एवं 01 स्कार्पियो कार रजि0नं0- HR51CL3223 बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. प्रदीप राणा पुत्र वीर सिंह निवासी सहारा होम्स, लालकुआं, गाजियाबाद, उम्र लगभग 53 वर्ष।
2. खुशबू देवी पत्नी शशि रंजन निवासी ग्राम करमतोला आरा, थाना नवादा, भोजपुर (बिहार) उम्र लगभग 45 वर्ष।
3. ज्योत्सना पत्नी सतीश धवन सिंह निवासी श्रीटोला आरा, भोजपुर (बिहार) वर्तमान पता प्रताप बिहार, थाना विजयनगर, गाजियाबाद, उम्र लगभग 42 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1. मु0अ0सं0 49/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 50/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 51/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 52/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 53/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 04 मोबाइल फोन, 04 एटीएम कार्ड
2. 01 स्कार्पियो कार रजि0नं0- HR51CL3223